English	हिन्दी
KNOW YOUR WORKPLACE RIGHTS:	अपने कार्यस्थल के अधिकारों को जानें:
Workplace Equity	कार्यस्थल पर समानता
Under the National Labor Relations Act, you have the right to join with your coworkers to demand a diverse, equitable, inclusive, and accessible workplace.	राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम के तहत, आपको अपने सहकर्मियों के साथ शामिल होकर एक विविध, समतापूर्ण, समावेशी और सुलभ कार्यस्थल की माँग करने का अधिकार है।
You have the right to join with your coworkers to protest racism, sexism, homophobia, and any other form of discrimination or inequity in your workplace.	आपको अपने सहकर्मियों के साथ शामिल होकर अपने कार्यस्थल में जातिवाद, लिंगवाद, समलैंगिकता से घृणा, और किसी अन्य प्रकार के भेदभाव या असमानता के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है।
It is illegal for your employer to retaliate against you in any way for this activity—like making you perform more difficult job duties, writing you up, suspending you, or firing you.	आपके नियोक्ता द्वारा इस गतिविधि के लिए आपके खिलाफ किसी भी तरह से प्रतिशोध लेना गैरकानूनी है—जैसे आपसे ज़्यादा मुश्किल कार्य करवाना, आपको लिखित चेतावनी देना, आपको निलंबित करना, या आपको नौकरी से निकाल देना।
It is illegal for your employer to have a policy that prohibits you from engaging in this activity, to tell you or your coworkers that you can't engage in this activity.	आपके नियोक्ता के पास ऐसी नीति होना गैरकानूनी है जो आपको इस गतिविधि में शामिल होने से रोकती है, आपको या आपके सहकर्मियों को यह कहना गैरकानूनी है कि आप इस गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं।
The National Labor Relations Board is an independent federal agency that protects the rights of private sector employees to join together, with or without a union, to improve their wages and working conditions.	राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए यूनियन के साथ या उसके बिना एक साथ शामिल होने के अधिकारों की रक्षा करती है।